अध्याय XII: सार्वजनिक उद्यम विभाग

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बोकारो पावर सप्लाई कम्पनी पावर लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मैंगलोर रिफाईनरी एण्ड पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड, एमईसीओएन लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, नेवली लिग्नाईट, कार्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी सेल पावर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड पावर फाईनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड,ग्रामीण विद्युतीकरण कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एसजेबीएन लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड

12.1 अर्ध वेतन अवकाश और बीमारी के अवकाश के नकदीकरण के प्रति अनियमित भुगतान

अर्ध वेतन अवकाश/बीमारी का अवकाश के नकदीकरण के डीपीई दिशानिर्देशों से भटक जाने के कारण जनवरी 2007 से नवम्बर 2012 तक ₹ 413.98 करोड़ का अनियमित भुगतान

अप्रैल 1987[1] के सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के निर्देशों के अनुसार एक विशेष केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसईज़) इस संबंध में भारत सरकार (जीओआई) द्वारा दिए गए नीति दिशानिर्देशों के व्यापक मापदंडों को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारियों के लिए छूट्टी के नियम बना सकते है।

भारत सरकार ने सेवा निवृत्ति पर 1-1-2006 से प्रभावी 300 दिनों की समग्र अधिकतम सीमा में संयुक्त रूप से रखे गए अर्ध वेतन अवकाश (एचपीएल) और अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अनुमति दी जोकि 240 दिनों तक की इएल के नकदीकरण की पूर्व अधिकतम सीमा में बढ़ोतरी थी। इस प्रकार, अप्रैल 1987 के डीपीई निर्देशों की शर्तो में, यथा स्थान, सीपीएसईज़ से भी अपने कर्मचारियों के लिए सेवा निवृत्ति पर ईएल और एचपीएल के नकदीकरण के लिए 300 दिनों की समग्र अधिकतम सीमा का पालन करना अपेक्षित था।

जहाजरानी मंत्रालय द्वारा किए गए संदर्भ में डीपीई ने 26 अक्तूबर 2010[2] को सभी सीपीएसईज़ को स्पष्ट किया कि उन्हें 300 दिनों की समग्र अधिकतम सीमा से परे छूट्टी के नकदीकरण की अनुमति नहीं थी। अप्रैल 1987 के अपने निर्देशों पर चर्चा करते हुए 17 जुलाई 2012[3] के अगले स्पष्टीकरण में डीपीई ने दोहराया कि बीमारी के अवकाश का नकदीकरण नहीं किया जा सकता, यद्यपि ईएल और एचपीएल पर सेवानिवृत्ति के समय अवकाश के नकदीकरण जो 300 दिनों तक सीमित है के लिए विचार किया जा सकता है।

---

[1] *ओएम सं. 2 (27) 85-बीपीई (डब्ल्यूसी) दिनांक 24 अप्रैल 1987*
[2] *ओएम सं. 2(32) 10-डीपीई (डब्ल्यूसी) जीएल- XXIII दिनांक 26 अक्तूबर 2010*
[3] *ओएम सं. 2 (14)/2012-डीपीई (डब्ल्यूसी) दिनांक 17 जुलाई 2012*

ए. लेखापरीक्षा ने देखा कि सीपीएसईज़ डीपीई के दिशानिर्देशों से भटक गए थे और 300 दिनों की अधिकतम सीमा की बजाय सेवा निवृत्ति पर एचपीएल के नकदीकरण के प्रति अपने कर्मचारियों को ₹ 391.31 करोड़ का अनियमित भुगतान किया।

क्रम सं.	प्रशासनिक मंत्रालय	सीपीएसईज़ का नाम	अवधि	राशि (₹ करोड़ में)
1	कोयला मंत्रालय	नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन लिमिटेड (एनएलसी)	जनवरी 2007 से सितम्बर 2012	6.46
2	भारी उद्योग मंत्रालय	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)	जनवरी 2007 से सितम्बर 2012	150.01
3	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (विसाख रिफाईनरी) (एचपीसीएल)	अप्रैल 2007 से मार्च 2012	0.50
4	विद्युत मंत्रालय	एनटीपीसी लिमिटेड	अप्रैल 2007 से सितम्बर 2012	43.61
5	विद्युत मंत्रालय	पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)	अप्रैल 2007 से नवम्बर 2012	13.28
6	विद्युत मंत्रालय	एनएचपीसी लिमिटेड	अप्रैल 2007 से सितम्बर 2012	10.97
7	विद्युत मंत्रालय	ग्रामीण विद्युतीकरण कार्पोरेशन लिमिटेड (आरईसी)	नवम्बर 2008 से सितम्बर 2012	1.67
8	विद्युत मंत्रालय	बोकारो पावर सप्लाई कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	जनवरी 2007 से मार्च 2012	1.22
9	विद्युत मंत्रालय	पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)	अप्रैल 2007 से मार्च 2012	0.60
10	विद्युत मंत्रालय	एनटीपीसी सेल पावर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	जनवरी 2007 से मार्च 2012	0.39
11	विद्युत मंत्रालय	एसजेवीएन लिमिटेड	अप्रैल 2007 से सितम्बर 2012	0.14
12	जहाजरानी मंत्रालय	ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	अप्रैल 2007 से मार्च 2012	1.19
13	इस्पात मंत्रालय	स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड	जनवरी 2007 से मार्च 2012	144.19
14	इस्पात मंत्रालय	एमईसीओएन लिमिटेड	जनवरी 2007 से मार्च 2012	6.40
15	इस्पात मंत्रालय	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)	अप्रैल 2007 से मार्च 2012	6.13
16	इस्पात मंत्रालय	एनएमडीसी लिमिटेड	अप्रैल 2007 से मार्च 2012	4.19
17	इस्पात मंत्रालय	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)	जनवरी 2007 से मार्च 2012	0.36
जोड़				**391.31**

भेल ने कहा (नवम्बर 2012) कि अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक ने एचपीएल नकदीकरण के प्रावधान को मंजूरी दे दी और यह कि केन्द्रीय/राज्य सरकार और सीपीएसईज़ के सेवा शर्ते भिन्न थी।

सेल, एनटीपीसी,एनटीपीसी सेल पावर कम्पनी,एफएसएनएल ने कहा (अक्तूबर 2012/फरवरी 2013) कि एचपीएल का नकदीकरण कम्पनी के अवकाश नियमों के अनुसार था। पीजीसीआईएल ने कहा कि योजना को एनटीपीसी से अपनाया गया और पीजीसीआईएल में जारी रखा और निदेशक मण्डल द्वारा मंजूर किया गया था जिसमे विद्युत मंत्रालय का प्रतिनिधित्व भी शामिल था।

एमईसीओएन ने कहा (जनवरी 2013) कि ईएल के नकदीकरण से संबंधित 26 अक्तूबर, 2010 के डीपीई के निर्देशों और सेवानिवृत्ति पर एचपीएल के नकदीकरण के लिए अलग निर्देशों को डीपीई द्वारा जारी नहीं किया गया था।

एनएचपीसी,एसजेवीएन,बोकारो पावर सप्लाई कम्पनी, आरईसी, पीएफसी,एनएमडीसी, आरआईएनएल, डीसीआई और एचपीसीएल (विसाख रिफाईनरी) ने कहा (अक्तूबर-दिसम्बर 2012/फरवरी 2013) कि एचपीएल नकदीकरण योजना, कई अन्य सीपीएसईज़ द्वारा पालन की जा रही नीति की पुष्टि द्वारा निदेशक मण्डल की मंजूरी से शुरू की गई थी, और यह भारत सरकार के अवकाश नियमों को सख्ती से अपनाने के लिए बाध्यकर नहीं थी।

एनएलसी ने उपरोक्त लेखापरीक्षा आपत्तियों के लिए उत्तर नहीं दिया।

सीपीएसईज़ के उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार की समग्र नीति से परे अवकाश का नकदीकरण अप्रैल 1987 के डीपीई के निर्देशों के अनुसार अनुमत नहीं था। इसके अतिरिक्त, 26 अक्तूबर 2010 के डीपीई के परिपत्र ने स्पष्ट किया कि सीपीएसईज़ को 300 दिनों की अधिकतम सीमा से परे अवकाश के नकदीकरण की अनुमति नहीं थी। जुलाई 2012 मे जारी अन्य स्पष्टीकरण में अप्रैल, 1987 के निर्देशों का संदर्भ देते हुए डीपीई ने दोहराया कि ईएल और एचपीएल पर सेवानिवृत्ति पर नकदीकरण के लिए विचार किया जा सकता है जो 300 दिनों की समग्र सीमा का विषय है। इस प्रकार,300 दिनों की समग्र अधिकतम सीमा के परे सेवा निवृत्ति पर कर्मचारियों को एचपीएल का नकदीकरण,डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन था और इस प्रकार अनियमित था।

(**बी**) लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि निम्नलिखित सीपीएसईज़ डीपीई के दिशानिर्देशों से भटक गए क्योंकि उन्होंने बीमारी के अवकाश के प्रति अपने कर्मचारियों को भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार ₹ 22.67 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

क्रम सं.	प्रशासनिक मंत्रालय	सीपीएसई	अवधि	राशि (₹ करोड़ में)
1	रक्षा मंत्रालय	भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड	अप्रैल 2007 से जून 2012	21.49
2	जहाजरानी मंत्रालय	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	दिसम्बर 2007 से नवम्बर 2012	0.94
3	पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	मैंगलोर रिफाईनरी एण्ड पैट्रो कैमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल)	नवम्बर 2010 से मार्च 2012	0.24
जोड़				**22.67**

बीईएल ने कहा (सितम्बर 2012) कि ऐसे नकदीकरण को लागू करके यह उत्पादन के लिए कम संघर्षण दर और भर्ती/प्रशिक्षित श्रमशक्ति प्राप्त करने के योग्य थी।

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने कहा (फरवरी 2013) कि बीमारी के अवकाश के नकदीकरण पर डीपीई के स्पष्टीकरण जुलाई 2012 में जारी किया गया था और उन्होने डीपीई से अगले निर्देशों को प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव रखा था, उन कर्मचारियों, जो नवम्बर 2012 से सेवानिवृत्त हुए थे, को बीमारी के अवकाश के नकदीकरण का भुगतान नहीं किया गया था। **एमआरपीएल** ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया (मार्च 2013)।

उपरोक्त उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जुलाई 2012 के डीपीई के स्पष्टीकरण ने बीमारी के अवकाश के नकदीकरण को विशेष रूप से नामंजूर किया और यहा स्पष्टीकरण सभी सीपीएसईज़ में लागू थे।

संक्षेप में, सेवानिवृत्ति पर 300 दिनों से अधिक बीमारी का अवकाश या एचपीएल के साथ ईएल के नकदीकरण के लिए सीपीएसईज़ के अवकाश के नियमों/नीति ने डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया था और इसके परिणामस्वरूप जनवरी 2007 से नवम्बर 2012 की अवधि के लिए ₹ 413.98 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

युनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, दि न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भारतीय खाद्य निगम।

12.2 लेखापरीक्षा के कहने पर वसूलियां

नमूना जाँच के दौरान गैर-वसूली,कम वसूली, अधिक भुगतान, कम प्रीमियम लेना से संबंधित कुछ मामले इंगित किए गए थे। चार पीएसयूज़ से संबंधित 21 मामलों में लेखापरीक्षा ने दर्शाया कि वसूली के लिए 152.97 करोड़ देय थे। पीएसयूज़ के प्रबंधन ने 2011-12 की अवधि के दौरान 121.86 करोड़ की वसूली की थी जैसा की **परिशिष्ट-I** में वर्णित है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड

12.3 लेखापरीक्षा के करने पर सुधार/परिशोधन

नमूना जाँच के दौरान, प्रणालियो, नीतियों और पद्धतियों में कमियों से संबंधित मामले देखे गए थे और प्रबंधन के ध्यान मे लाए गए थे। मामलों के विवरणों, जहां लेखापरीक्षा के कहने पर उनकी नीतियों/पद्धतियों में प्रबंधन द्वारा बदलाव किए गए थे, को **परिशिष्ट-II** में दिया गया है।